प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.06.2024

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी से ATM कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड व कुल 10029/- रूपये नगद बरामद।

घटना का विवरण- दिनांक 07.02.2024 को थाना मोदीनगर पर वादी ने तहरीर दी कि गोविन्दपुरी में ICICI BANK ATM से 01 एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकाल लिए तथा दिनांक 08.04.2024 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि HITACHI ATM गोविन्दपुरी से 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकाल लिए है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मोदीनगर पर अभियोग पंजीकृत किए गए तथा अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

कार्यवाही का विवरण- थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.05.2024 / 01.06.2024 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाले अभियुक्तों 1. विनोद उर्फ नेपाली पुत्र राम कुमार नि0 E-7 / 60 शनि बाजार रोड सुल्तान पुरी दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष 2. सुमित उर्फ सोनू उर्फ विक्की पुत्र श्रीपाल नि0 E-7 / 45 शनि बाजार रोड, सुल्तानपुरी दिल्ली उम्र 28 वर्ष को सीएचसी गोविन्दपुरी मोदीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 45 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड व 10029/- रुपये बरामद हुये। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि हम लोग मौका पाकर लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकाल लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. विनोद उर्फ नेपाली पुत्र राम कुमार नि0 E-7 / 60 शनि बाजार रोड सुल्तान पुरी दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष
2. सुमित उर्फ सोनू उर्फ विक्की पुत्र श्रीपाल नि0 E-7 / 45 शनि बाजार रोड, सुल्तानपुरी दिल्ली उम्र 28 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

थाना मोदीनगर पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-02

बरामदगी का विवरण

1- 45 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के

2- 10029 रुपये (एटीएम कार्ड बदलकर निकालने वाली घटना से सम्बन्धित) बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.06.2024 को रात्रि गस्त एवं चेंकिग के दौरान गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी साजिद उर्फ गुड्डू पुत्र श्री शाहिद निवासी मुखिया फार्म हाउस रिहान मेडिकल के सामने कस्बा व थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक चोरी मोटरसाइकिल बरामद हुई जो कोतवाली नगर जनपद हापुड के अभियोग से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 19.03.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

साजिद उर्फ गुड्डू पुत्र श्री शाहिद निवासी मुखिया फार्म हाउस रिहान मेडिकल के सामने कस्बा व थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम